ालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/271

प्रकरण संख्या 145/22

अनवान

1. श्री यक्षराजसिंह पिता भगवतसिंह राजपूत निवासी देवली तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
2. सुश्री प्रियांशी पिता भगवसिंह राजपूत निवासी देवली तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

बनाम

1. श्री राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार कानोड जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

–: : निर्णय : :– दिनांक :–22.09.2022

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार मौजा देवली पटवार हल्का आकोला तहसील कानोड की जमाबंदी संवत् 2078 से स्थाई खाता संख्या नया 25, 26 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम युप्रीतसिंह पुत्र भगवतसिंह अंकित है तथा प्रार्थी संख्या 2 का नाम दिव्यांशी पुत्र भगवतसिंह अंकित है जबकि वास्तविक नाम यक्षराजसिंह पुत्र भगवतसिंह है तथा प्रियांशी पुत्री भगवतसिंह है जिसे दुरस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :–

I. मौतबिरान व सह–खातेदार द्वारा मौके पर बताया गया की खाता संख्या 25 व 26 के सह–खातेदार युप्रीतसिंह पिता भगवतसिंह, दिव्यांशी पुत्री भगवतसिंह को परिवार, समाज व ग्राम में यक्षराजसिंह पिता भगवतसिंह व प्रियांशी पुत्री भगवतसिंह के नाम से जाना जाता है एवं इनके द्वारा पेश दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, स्वयं का शपथ पत्र व ग्राम पंचायत आकोला द्वारा जारी [illegible] प्रमाण पत्र में भी इनका नाम क्रमशः यक्षराजसिंह पिता भगवतसिंह जाति राजपूत व प्रियांशी पुत्री भगवतसिंह जाति राजपूत दर्ज है।

II. यह कि सह–खातेदार पृथ्वीसिंह पुत्र भेरूसिंह व राजेन्द्र कुंवर पत्नी भगवतसिंह ने भी इनके नाम संशोधन हेतु अपनी सहमति दी है। ग्राम पंचायत आकोला द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में भी कोई आपत्ति नही जताई है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजो, मौका निरिक्षण, सह–खातेदार, ग्राम पंचायत आकोला व मौतबिरान अनुसार नाम संशोधन की अनुशंषा की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:47 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस सुनी। बहस में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट का अध्ययन किया। तहसीलदार कानोड द्वारा प्रकरण में नाम संशोधन की अनुशंषा की। प्रार्थीगण के कथनानुसार ग्राम देवली पटवार हल्का आकोला तहसील कानोड की खाता संख्या 25 व 26 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम युप्रीतसिंह पुत्र भगवतसिंह व प्रार्थी संख्या 2 का नाम दिव्यांशी पुत्री भगवतसिंह सहवन से गलत अंकित है जिसे संशोधित कर क्रमशः यक्षराजसिंह पुत्र भगवतसिंह व प्रियांशी पुत्री भगवतसिंह अंकित किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सह–खातेदारों के सहमति शपथ पत्र पेश किया व कार्यालय ग्राम पंचायत आकोला का अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश किया जिसमें कार्यालय ग्राम पंचायत आकोला द्वारा प्रार्थीगण के आधार कार्ड में अंकित नाम क्रमशः यक्षराजसिंह पुत्र भगवतसिंह व प्रियांशी पुत्री भगवतसिंह को सही माना। प्रार्थीगण द्वारा अन्य दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड, अंक तालिका की प्रति व स्वयं का शपथ पत्र पेश किया जिसके अनुसार प्रार्थीगण का नाम क्रमशः यक्षराजसिंह पुत्र भगवतसिंह व प्रियांशी पुत्री भगवतसिंह अंकित है।

4. अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट व अनुशंषा, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का वास्तविक नाम क्रमशः यक्षराजसिंह पुत्र भगवतसिंह व प्रियांशी पुत्री भगवतसिंह है। प्राथीगण के आधार कार्ड, अंक तालिका में प्रार्थीगण का नाम यक्षराजसिंह पुत्र भगवतसिंह व प्रियांशी पुत्री भगवतसिंह अंकित है जबकि जमाबंदी में प्रार्थीगण का नाम युप्रीतसिंह पुत्र भगवतसिंह व दिव्यांशी पुत्री भगवतसिंह अंकित है जिससे प्रार्थी को कठिनाई हो रही है जिससे सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा [illegible] राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा देवली पटवार हल्का आकोला तहसील कानोड की जमाबंदी संवत् 2078 से स्थाई खाता संख्या नया 25, 26 में प्रार्थी का नाम युप्रीतसिंह पुत्र भगवतसिंह के बजाय यक्षराजसिंह पुत्र भगवतसिंह व दिव्यांशी पुत्री भगवतसिंह के बजाय प्रियांशी पुत्री भगवतसिंह संशोधन के आदेश दिये जाते है। शेष बदस्तुर रहें। । पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 22.09.2022 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:58:47 IST
Reason: SelfAttested